


26 ³/₂₅

पत्रावली पार्थीया मन्त्रुडेकी जरिये अधिकांश
 बज्रंग सिंह शीखापर के मिसल लपकी
 आवेदन पर आजपेशुडी पार्थीया मन्त्रु
 देवी नै जरिये अधिकांश आवेदन कापत
 काद विज्ञो पेश कर निवेदन किया कि
 राज्यसवकार क केन्द्र सरकार द्वारा सामर्थ्य
 पर जारी सरकारी योजनाओं का लाभ
 पार्थीया का नहीं मिल पा रहा है। अतः
 उक्त सरकारीय अस्थायी निषेधाज्ञा उक्त
 का विज्ञो किया जावे। मैंने पत्रावली में
 उपलब्ध दस्तावेजों क पार्थीया पत्र बाबत
 काद विज्ञो का अवलोकन किया। अतः पार्थीया
 के निवेदन पर पार्थीया का आवेदन अन्तर्गत
 धारा 212 भाग का विज्ञो किये जाने
 की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली
 संलग्न शुमार होकर नम्बर का कम होकर
 दाखिल दफतर है।


 अ. ति. मंजु
 प. द. य. म. र.
 10-11-2019

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़